मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्रमांक 16/4/1991/10-2 भोपाल, दिनांक 13-6-2002

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः- संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियों के परिवारों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता ।

संदर्भः- आपकी अशासकीय टीप क्रमांक 818 दिनांक 29-5-2002

----0----

वनों के संरक्षण एवं विकास में जन सहयोग प्राप्त करने के लिये वन विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 22-10-2001 की कंडिका 11.1.1 जिसके अनुसार सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है ।

2/ समितियों को दिये गये उपरोक्त अधिकार के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्धता का आशय समिति को आवंटित वन क्षेत्र में उपलब्ध निस्तारी वनोपज से है । अर्थात यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है तो समिति के सदस्यों को रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी । यदि किसी समिति क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रायल्टी देय होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मेन्द्र शुक्ला)

अपर सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग